

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ4[ई]रिफे.कोर्स[ख.ले.]अलेसे-111

11507-11540

दिनांक 13-1-2012

कार्यालय आदेश - 231/2011-12

निम्नलिखित खण्डीय लेखाकारों को ह0च0मा0रा0राज्य लोक प्रशासन प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर द्वारा दिनांक 13-14 फरवरी, 2012 तक आयोजित लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम [पीडब्ल्यूएफएआर] के 2 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 15 फरवरी, 2012 को आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा हेतु मनोनीत किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1.	श्री सुनील कुमार जैन	अधि.अभि. सा.नि.वि. इलैक्ट्रीकल डीविजन अजमेर
2.	श्री भंवरसिंह राजपूत	अधि.अभि. सा.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग डीविजन अजमेर
3.	श्री प्रवीन कुमार अग्रवाल	अधि.अभि. पीएचईडी नगर खण्ड-11, अजमेर
4.	भगवान सिंह उदावत	अधि.अभि. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड-ब्यावर {अजमेर}
5.	रामरतन पाराशर,	अधि.अभि.सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड केकडी (अजमेर)
6.	राकेश कुमार शर्मा	अधि.अभि.जल संसाधन खण्ड प्रथम अजमेर
7.	सुभाष चन्द पाराशर,	अधि.अभि. सार्व.निर्माण विभाग यांत्रिक खण्ड अजमेर
8.	श्रीनिवास गुप्ता(विकलांग)	अधि.अभि.जल संसाधन खण्ड द्वितीय भीलवाडा
9.	बालकृष्ण सोमानी,	अधि.अभि. सार्व.निर्माण विभाग खण्ड मांडलगढ {भीलवाडा}
10.	कन्हैया लाल शर्मा,	अधि.अभि. सार्व.निर्माण विभाग खण्ड शाहपुरा {भीलवाडा}
11.	दिनेश कुमार लोहिया ,	अधि.अभि. जल संसाधन खण्ड प्रथम भीलवाडा
12.	ओम प्रकाश मूंदडा	अधि.अभि.जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड शाहपुरा {भीलवाडा}
13.	श्री महावीर प्रसाद गुप्ता	अधि.अभि. पीडब्ल्यूडी राष्ट्रीय राज्यमार्ग, बांसवाडा
14.	शिवदयाल दूदानी,	अधि.अभि.जल संसाधन खण्ड द्वितीय चित्तौडगढ
15.	अल्लानूर खॉ	अधि.अभि सार्व.निर्माण विभाग खण्ड चित्तौडगढ
16.	प्रकाश कुमार शर्मा	अधि.अभि. सार्व.निर्माण विभाग खण्ड सिकन्दरा {दोसा}
17.	दिनेश गर्ग	अधि.अभि. राष्ट्रीय राज्यमार्ग खण्ड -11 सार्व.निर्माण विभाग जयपुर
18.	उपेन्द्र सिंह सिराधना	अधि.अभि सार्व.निर्माण विभाग यांत्रिक खण्ड-11 जयपुर
19.	विश्वेश्वर दयाल शर्मा	अधि.अभि.जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बीसलपुर परियोजना खण्ड-111 जयपुर
20.	विष्णु कुमार गोयल	अधि.अभि.जल संसाधन विभाग खण्ड जयपुर
21.	श्री जीवनराम यादव	अधि.अभि. पीडब्ल्यूडी खण्ड तृतीय प्रतापगढ
22.	मोहम्मद रफीक शेख	अधि.अभि सार्व.निर्माण विभाग खण्ड-1 प्रतापगढ
23.	विरेन्द्र सिंह राजपुरोहित	अधि.अभि. सार्व.निर्माण विभाग खण्ड सिरोही
24.	श्री लल्लू नारायण शर्मा	अधि.अभि. पीएचईडी ग्रामीण डीविजन सलूमबर {उदयपुर}
25.	कोशलेश्वर भानावत	अधि.अभि सार्व.निर्माण विभाग यांत्रिक खण्ड उदयपुर
26.	राजेन्द्र सिंह चौधरी,	अधि.अभि सार्व.निर्माण विभाग विधुत खण्ड उदयपुर
27.	विजय कुमार अग्रवाल	अधि.अभि.जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जिला ग्रामीण खण्ड उदयपुर

28.	राकेश कुमार जैन	अधि.अभि.जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ड्रिलिंग खण्ड अलवर
29.	श्री प्रवीण कुमार जैन	अधि.अभि. पीएचईडी डीविजन प्रतापगढ़
30.	प्रहलाद सिंह शेखावत	अधि.अभि.पीएचईडी, जिला ग्रामीण खण्ड द्वितीय जयपुर

उपरोक्त खण्डीय लेखाकारों को आदेश दिये जाते हैं कि वे दिनांक 13.02.2012 को प्रातः 9:15 बजे ह.च.मा.रीपा, रानी रोड, उदयपुर में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर पालना से अवगत कराये। उक्त प्रशिक्षण अनिवार्य है, प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के उपरान्त लिखित परीक्षा पास करना आवश्यक है। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णतया आवासीय रखा गया है।

प्रशिक्षण समाप्ति पर उपरोक्त सभी खण्डीय लेखाकार अपने-अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति देगे।

क्रमांक-एफ4[ई]रिफे.कोर्स[ख.ले.]अलेसे-III 11507-11570 निदेशक दिनांक 13-1-2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं महानिदेशक, ह0च0मा0राज0 राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 10572 दि. 04.01.2012 के क्रम में।
- 2 श्री महेश चन्द्र राजोरिया, अतिरिक्त निदेशक एवं प्रभारी अधिकारी, (परीक्षाएँ), रीपा, जयपुर
- 3 अतिरिक्त निदेशक ह0च0मा0राज0 राज्य लोक प्रशासन संस्थान, रानी रोड, उदयपुर
- 4 विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया मनोनीत खण्डीय लेखाकार को उक्त प्रशिक्षण हेतु अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करायें।

- 5 श्री खण्डीय लेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर लेख है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थिति की सूचना अविलम्ब भिजवायें। प्रशिक्षण अनिवार्य है, अतः प्रशिक्षण केन्द्र पर निर्धारित समय पर उपस्थिति न देने की अवस्था में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। प्रशिक्षण हेतु किसी भी परिस्थिति में छूट नहीं दी जायेगी। अतः अनावश्यक पत्राचार नहीं किया जाये।

- 6 निजी सहायक निदेशक महोदय
- 7 कम्प्यूटर शाखा [विबसाइट हेतु]
- 8 निजी पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II)